THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY
KOCHI -682 036

फाइल सं : QC-STD/2/2019-QC तारीख : 26/07/2022

परिपत्र

जीएसीसी ने 8 जुलाई 2022 की अपनी घोषणा संख्या 58 (अनौपचारिक अनुवाद की प्रति संलग्न) के माध्यम से समुद्री खाद्य सहित आयातित कोल्ड चेन फूड के नियंत्रण उपायों और बंदरगाह महामारी रोकथाम में आगे और अनुकूलन करने एवं सुधार लाने के लिए आयात निरीक्षण नियंत्रण में कुछ संशोधन किए हैं ।

इस संबंध में, निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाये :

1. सामान्य प्रशासन सीमा शुल्क की 2020 की घोषणा संख्या 103 (अनौपचारिक अनुवाद की प्रति संलग्न) निरस्त की जाती है। तदनुसार, जिन संस्थानों की खेप कोविड -19 न्यूक्लिक एसिड सामग्री के लिए सकारात्मक पाई जाती है, उन्हें अब 1 या 4 सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से निलंबित नहीं किया जाएगा और वीडियो निरीक्षण / 2 सप्ताह से पहले चीनी बंदरगाहों में आने वाले सामान को समय के भीतर घोषित किया जा सकता है और अगर उन खेपों में कुछ ज्ञात नहीं होता है तो मंजूरी दे दी जाती है ।
2. सकारात्मक आयातित कोल्ड चेन खाद्य पदार्थ जैसे मध्यम और निम्न जोखिम वाले खाद्य पदार्थों का बिना लौटाए या बिना नष्ट किए प्रभावी उपचार के बाद घरेलू उत्पादन और संचालन हेतु आयात किया जा सकता है । हालांकि यह ध्यान दिया जाए कि जीएसीसी जलीय मत्स्य उत्पादों को एक उच्च जोखिम वाली वस्तु के रूप में मानता है। आपके संदर्भ के लिए घोषणा 270 [2022] का अनौपचारिक अनुवाद भी संलग्न है।
3. जीएसीसी निरीक्षकों द्वारा वीडियो निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए संस्थान को कोविड -19 न्यूक्लिक एसिड सामग्री के सकारात्मक पाये जाने की घोषणा की तारीख से 2 सप्ताह तक का समय दिया जाएगा।
4. संगत कानूनों और विनियमों के अनुसार जीएसीसी द्वारा संस्थान का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा:

अ. यदि संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को वीडियो निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

आ. यदि वर्चुअल निरीक्षण के दौरान कोविड-19 निवारक प्रोटोकॉल या खाद्य सुरक्षा प्रबंधन उपायों के संबंध में गैर - अनुपालन नोट किया जाता है।

5. सबूत के साथ संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई/सुधार के उपाय प्रस्तुत करने पर जीएसीसी द्वारा निलंबन रद्द कर दिए जाने के बाद संस्थान अपने निर्यात को फिर से शुरू कर सकते हैं।
6. यदि 12 अप्रैल 2021 के आदेश संख्या 24 के अनुच्छेद 24 के प्रावधानों के तहत वर्चुअल निरीक्षण के दौरान गंभीर गैर-अनुपालन पाए जाते हैं तो जीएसीसी द्वारा संस्थान का पंजीकरण वापस ले लिया जाएगा। संस्थान को उठाए गए गैर-अनुरूपताओं को सुधारना होगा और संस्थान को फिर से वर्चुअल निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा। सफल मूल्यांकन के बाद संस्थान का पंजीकरण किया जाएगा।

जीएसीसी ने 1 जनवरी 2022 से प्रभावी नियमों पर आदेश संख्या 248 के अनुच्छेद 22 से 24 और आदेश संख्या 249 का संदर्भ लेने की सलाह दी है ।

अतः, उपरोक्त पर विचार करते हुए, आपके क्षेत्र में समुद्री खाद्य निर्यात व्यापारियों को सचेत करते हुये उपयुक्त रूप से सूचित किया जाये कि कोविड -19 न्यूक्लिक एसिड पदार्थ के साथ समुद्री खाद्य खेपों के संदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण उपायों को बनाए रखने में कोई भी लापरवाही होने पर चीनी अधिकारियों द्वारा कडी दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

21 जुलाई 2022 को जीएसीसी के साथ हुई एमपीईडीए और ईआईसी की बैठक में, जीएसीसी ने आगे बताया कि उनके पास अयोग्य आयात के 62 मामले हैं, जिनमें से 49 पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेषों की उपस्थिति से संबंधित हैं।

चीन को किए जाने वाले प्रशीतित जलकृषि श्रिम्प निर्यातकों को यह भी सूचित किया जाये कि जीएसीसी ने आधिकारिक तौर पर भारत से निर्यात किए जाने वाले कृषित श्रिम्प में पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेषों की उपस्थिति की सूचना दी है और सभी निर्यातक इस तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त स्रोत नियंत्रण उपाय करें, क्योंकि इससे खेप की अस्वीकृति और उनके संस्थानों का निलंबन हो सकता है ।

यह आपकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए है।

डॉ राम मोहन एम के
संयुक्त निदेशक (गु नि)

वितरण :

1. सभी क्षे प्र / उ क्षे प्र
2. निदेशक / सं नि (वि) / उ नि (गु नि) / उ नि (वि से)